30/10/19 पत्रावली पेश हुई।

वकील प्रार्थीगण अनुपस्थित। प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के वकील को तीन तीन बार आवाज लगाई गई किन्तु वे न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये न ही उनकी ओर से किसी वकील ने वकालतनामा पेश किया है अतः आवेदन हाजरी व अदम पैरवी के कारण खारिज किया जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुदा दाखिल दफ्तर नियम के तहत की जावे।

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Ajay
Date: 2019.11.22 17:11:05 IST
Reason: SelfAttested